ालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 45/2025 **निर्णय दिनांक :– 26.02.2026**

उनवानी प्रार्थना–पत्र

1. रामरतन पुत्र कजोड जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टॉक राज०
2. शर्मा पत्नी रामरतन जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टॉक राज०

प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र दुर्गालाल मीणा जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक राज०
2. राजाराम पुत्र दुर्गालाल मीणा जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक राज०
3. सोराज पुत्र दुर्गालाल मीणा जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक राज०
4. मीना पत्नी बाबूलाल मीणा जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टॉक राज०
5. राजेशी पत्नी सोराज मीणा जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक राज०
6. सुनिता पत्नी राजाराम मीणा जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक राज०
7. मुरारीलाल पुत्र बाबूलाल मीणा जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक राज०
8. मनीष पुत्र बाबूलाल मीणा जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक राज०
9. लेखराज पुत्र राजाराम मीणा जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक राज०
10. ओमप्रकाश पुत्र सोराज मीणा जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टॉक राज०

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–
श्री महावीर चौधरी
व प्रकाश चन्द जैन
अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी सं 1 ता 8 व 10 अधि0
विरेन्द्र जैन, अप्रार्थी संख्या 9 के
विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त उनवानी वाद श्रीमान के समक्ष पेश कर दिया है, जिसमे सफलता की प्रार्थीगण को पूर्ण संभावना है तथा प्रार्थीगण का उक्त वाद प्रथम दृष्टया सिद्ध है व सुविधा का सतुंलन व अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 138 खसरा नम्बर 454 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 465 रकबा 0. 17 है0, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 857 रकबा 0.40 है०, खसरा नम्बर 883 रकबा 1. 04 है०, खसरा नम्बर 915 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 949 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 950 रकबा 0.500 है0, खसरा नम्बर 951 रकबा 0.20है०, खसरा नम्बर 954 रकबा 0.94 है० में 1/4 हिस्सा कूल किता 12 कुल रकबा 5.00 है०, खाता संख्या 132 खसरा नम्बर 569 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.07है०, खसरा नम्बर 571 रकबा 0.30है०, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.84 है0, कुल किता– 4 कुल रकबा 1.56 है0 1/2 हिस्से खाता संख्या 133 खसरा नम्बर 572 रकबा 1.53 है0 कुल किता– 1 कुल

1.53 1/2 हिस्सा खाता संख्या 16 खसरा नम्बर 576 रकबा 0.50 है0, खाता संख्या खसरा नम्बर 583 रकबा 0.42 है0, वाके ग्राम खरोई पटवार हल्का टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज० मे स्थित है। इस भूमि से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है तथा सहखातेदार होने का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर अमादा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को इस भूमि से बेदखल कर दर दर भटकने के लिये मजबूर करने पर अमादा है, जिसके लिये अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे स्वय जरिये एजेन्ट नोकर चाकर या पारिवारिक सदस्यो के द्वारा प्रार्थीगण को उनके खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 138 खसरा नम्बर 454 रकबा 0.24है०, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.10है०, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.41 है०, खसरा नम्बर 465 रकबा 0.17है०, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.17है0, खसरा नम्बर 857 रकबा 0.4080 है0, खसरा नम्बर 883 रकबा 1.0480 है0 , खसरा नम्बर 915 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 949 रकबा 0.56है०, खसरा नम्बर 950 रकबा 0.50 है०, खसरा नम्बर 951 रकबा 0.20है0, खसरा नम्बर 954 रकबा 0.94है० में 1/4 हिस्सा कुल किता 12 कुल रकबा 5.00है०, खाता संख्या 132 खसरा नम्बर 569 रकबा 0.35है0, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.07है०, खसरा नम्बर 571 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.84है०, कुल किता 4 कुल रकबा 1.56 है0 1/2 हिस्से , खाता संख्या 133 खसरा नम्बर 572 रकबा 1.53है0 1/2 हिस्सा कुल किता 1 कुल रकबा 1.53 खाता संख्या 16 खसरा नम्बर 576 रकबा 0.50 है०, खाता संख्या 374 खसरा नम्बर 583 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम खरोई पटवार हल्का टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज० से बेदखल नहीं करे, कब्जा नही करे व किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे मजामहत नही करे। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वंय जरिये एजेन्ट, नोकर चाकर या अन्य पारिवारिक सदस्यो से प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि मे किसी प्रकार की मजामहत नहीं करे ना ही करावे, प्रार्थीगण को बेदखल नही करे व पाबद रहे।

प्रार्थी की तलबी जारी की गई।

प्रार्थीगण संख्या 9 के तामिल बावजूद अनुपस्थित रहने से प्रार्थी संख्या 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 व 10 की ओर से अधिवक्ता विरेन्द्र जैन ने वकालतनामा व जवाब पेश किया।

<u>जवाब इस प्रकार है</u> – प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 मे वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार है। शेष इबारत जिस तरह से वर्णित की गई है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टिया केस सिद्ध नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 मे वर्णित आराजीयात खाता संख्या 138 में वर्णित खसरा नम्बरान 454, 460, 464, 465, 466, 857, 883, 915, 949, 950, 951 व 954 कुल किता–12, कुल रकबा 5.00 है० भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है। उक्त खसरा नम्बरान रेवेन्यू रिकार्ड प्रार्थी रामरतन का 1/14 हिस्सा वर्णित है परन्तु भाई बटवारे मे उक्त हिस्से की जमीन प्रतिपक्षीगण के हिस्से में आयी है, उसकी जगह प्रार्थी रामरतन को दुसरी भूमि हिस्से में दी गई थी। उक्त भूमि पैत्रक होने से मोके पर बटवारा हो गया था और उपरोक्त भूमि कुल किता–12, कुल रकबा 5.00 है0 भूमि मे से कजोड़ के हिस्से की भूमि प्रतिपक्षीगण के पिताध्दादा दुर्गालाल पुत्र कजोड़ के हिस्से मे बटवारे मे आयी थी तभी से दुर्गालाल व उसकी मृत्यु के बाद प्रतिपक्षीगण उपरोक्त भूमि मे काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी रामरतन का उक्त 1/14 हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। इस चरण में वर्णित आराजीयात खाता संख्या 132 में वर्णित खसरा नम्बरान 569, 570, 571, 579 कुल किता 4 कुल रकबा 1.56 है० एवं खाता संख्या 133 में वर्णित खसरा नम्बरान 572 रकबा 1.53 है० पर प्रार्थी रामरतन का कोई कब्जा काश्त नहीं है और बटवारे के अनुसार प्रतिपक्षीगण काबिज है। खाता संख्या 16 में वर्णित खसरा नम्बरान 576 रकबा 0.50 है० पर प्रार्थी रामरतन का कोई कब्जा काश्त नहीं है।

ा पत्र का चरण नम्बर 3 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही प्रतिपक्षीगण प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 2 में वर्णित भूमि पर बटवारे के अनुसार काबिज तथा रेवेन्यू रिकार्ड मे भी सहखातेदार है तथा प्रतिपक्षीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी रामरतन बेईमानी से अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने के आधार पर जबरन कब्जा करना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रतिपक्षीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि पर काबिज व काश्त करने के आधार पर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा नही है और प्रार्थीगण ने झूठे तथ्य वर्णित किये है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण, प्रतिपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का इस चरण में वर्णित आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त नही है। बटवारे के अनुसार प्रार्थीगण को अन्य भूमि बटवारे में दी गई थी जिस पर वह काबिज है और उनके नाम रेवेन्यू रिकार्ड में भी दर्ज है। प्रतिपक्षीगण इस चरण में वर्णित आराजीयात पर मोखिक पूर्वजो के बटवारे के आधार पर फसल काश्त करते आ रहे है इसलिये बेदखल करने वाली बात एवं काश्त में मजामहत करने वाली बात प्रार्थीगण ने बेबुनियाद एवं झूठी वर्णित की है। प्रार्थीगण, प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

अतिरिक्त कथन

प्रार्थी रामरतन एवं प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 3 के पिता दुर्गालाल पुत्र कजोड़ सगे भाई है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियां पैत्रक होने के आधार पर रामरतन एवं प्रतिपक्षीगण के पिता दुर्गालाल के मध्य मोखिक बटवारा हो चुका था और खाता संख्या 138 की सम्पूर्ण भूमि कुल किता–12, कुल रकबा 5.00 है0 में से कजोड़ के हिस्से की भूमि पर प्रतिपक्षीगण काबिज है जो प्रतिपक्षीगण को बटवारे में मिली थी तथा खाता संख्या 132 मे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिस पर प्रार्थी रामरतन काबिज है तथा काश्त कर रहा है तथा शेष 1/2 हिस्से पर प्रतिपक्षीगण काबिज है और काश्त करते आ रहे है तथा खाता संख्या 133 खसरा नम्बर 572 रकबा 1.53 है० भूमि पर प्रतिपक्षीगण काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण के मन मे बेईमानी आने के आधार पर तथा रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्त नहीं होने के आधार पर केवल उनके नाम खातेदारी रेवेन्यू रिकार्ड मे दर्ज होने के आधार पर झूठा दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली बहस में नियत किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया गया कि विवादित आराजी खाता संख्या 138, 132, 133, 16 व 374 ग्राम खरोई में स्थित है। प्रार्थीगण का तर्क है कि वे इस भूमि के खातेदार व काबिज काश्त हैं और अप्रार्थीगण उन्हें जबरन बेदखल करना चाहते हैं, अतः उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर प्रार्थीगण के तथ्यों का खंडन किया। अप्रार्थीगण का मुख्य तर्क यह है कि उक्त भूमि पैतृक है और पूर्वजों के समय ही मौखिक बंटवारा हो चुका था। बंटवारे के अनुसार, विवादित खसरा नंबरों पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम होने का अनुचित लाभ उठाकर कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं। अतः प्रार्थीना खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला केवल जमाबंदी में नाम होना कब्जे का पूर्ण प्रमाण नहीं है, विशेषकर जब मामला सह–खातेदारों के मध्य मौखिक बंटवारे के विवाद का हो। प्रस्तुत गिरदावरी में फसलों का उल्लेख तो है, किंतु अप्रार्थीगण ने इस कब्जे को बंटवारे के आधार पर अपना

ा है। यह एक तथ्यात्मक विवाद है जिसे केवल ट्रायल (साक्ष्य) के दौरान ही तय या जा सकता है। सुविधा का संतुलन – चूंकि मामला सह–खातेदारों के बीच है, और नूनन एक सह–खातेदार को दूसरे सह–खातेदार के विरुद्ध तब तक निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती जब तक कि मौके पर स्पष्ट विभाजन न हो गया हो। अपूरणीय क्षति – यदि इस स्तर पर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है, तो उनके कृषि कार्य में बाधा आएगी, जो कि उनके लिए अपूरणीय क्षति होगी।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी व गिरदावरी के दस्तावेजों से सह–खातेदारी तो प्रकट होती है, किंतु मौके पर अनन्य कब्जा इस स्तर पर निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली